Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना चौंमू के थानाधिकारी का रीडर एक अन्य प्राईवेट व्यक्ति के साथ 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *05 जून, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सांवरमल कानिस्टेबल रीडर थानाधिकारी पुलिस थाना चौंमू, जयपुर को एक अन्य प्राईवेट व्यक्ति रमेश बिजारणियां सहित परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में सांवरमल कानिस्टेबल रीडर थानाधिकारी पुलिस थाना चौंमू, जयपुर द्वारा से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना भाटी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सांवरमल पुत्र श्री कालूराम निठारवाल निवासी बिहारीपुरा, सिरसली, आमेर, जयपुर हाल कानिस्टेबल रीडर थानाधिकारी पुलिस थाना चौंमू, जयपुर को अन्य प्राईवेट व्यक्ति रमेश पुत्र श्री रामधन बिजारणियां निवासी 86, बड़ा कुआं की ढ़ाणी, नांगल पुरोहित, तहसील आमेर जयपुर सहित परिवादी से 40 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।